मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

सोमवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 (पौष 3, 1940)

पंचदश मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र का प्रारंभ

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि पंचदश मध्यप्रदेश विधान सभा का प्रथम सत्र सोमवार, दिनांक 7 जनवरी, 2019 को प्रारम्भ होगा.

प्रथम सत्र में कार्य निष्पादन के लिए दिनों का नियतन

(1) इस सत्र हेतु की गई व्यवस्था के अनुसार, कार्य-निष्पादन के लिए विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर निम्नलिखित दिनांकों के लिए नियत की गई हैं:—

जनवरी 7, 8, 9, 10 एवं 11.

(2) बैठकों की अस्थायी दिनदर्शिका सदस्यों को अलग से भेजी जा रही है.

विधान सभा की बैठकों का समय

जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दें, बैठकों के दिनों में, विधान सभा की बैठकें, पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक और अपराह्न 3.00 बजे से 5.30 बजे तक होंगी.

निर्वाचन के प्रमाण-पत्र

निर्धारित शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के संबंध में सदस्यों से निवेदन है कि वे निर्वाचन संचालन नियमों के नियम 66 के अन्तर्गत निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए अपने निर्वाचन के प्रमाण-पत्र को अपने साथ लायें और विधान सभा के प्रमुख सचिव या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को रविवार, दिनांक 6 जनवरी 2019 को मध्याह्न-पश्चात् 5.00 बजे तक किसी भी समय अथवा सोमवार, दिनांक 7 जनवरी, 2019 को मध्याह्न-पूर्व 8 से 10 बजे के बीच दिखायें. उन्हें उक्त पदाधिकारी को यह भी बताना चाहिए कि क्या वे शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे और यह भी कि हिन्दी, संस्कृत, उर्दू या अंग्रेजी भाषा में से किस भाषा में शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के इच्छुक हैं ताकि तद्नुसार प्रबन्ध किया जा सके.

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

सदस्य सोमवार, दिनांक 7 जनवरी एवं मंगलवार, दिनांक 8 जनवरी, 2019 को मध्याह्न पूर्व से विधान सभा में शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 188 में अपेक्षित है.

शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जावेगी :—

सर्वप्रथम क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्य तथा सभापति-तालिका के सदस्य शपथ लेंगे, तत्पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र के क्रमानुसार पुकारे जाने पर सदस्य प्रमुख सचिव की टेबिल की दाहिनी ओर आयेंगे जहां कार्यालय टेबिल पर अपने निर्वाचन का प्रमाण-पत्र बतलाने पर उन्हें शपथ/प्रतिज्ञान का प्रपत्र दिया जाएगा और प्रमुख सचिव की टेबिल के सामने रखी कुर्सी पर अपने क्रम से बैठेंगे तथा अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करेंगे, बारी आने पर वे अध्यक्ष के मंच की ओर उन्मुख होकर माईक के पास प्रपत्र के अनुसार शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान करेंगे और प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेंगे. तत्पश्चात् वे अध्यक्ष से हाथ मिलायेंगे या नमन करेंगे और प्रमुख सचिव की टेबिल पर रखी सदस्य नामावली पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त सभा में अपना आसन ग्रहण करेंगे.

अध्यक्ष का निर्वाचन

अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में विस्तृत जानकारी और प्रक्रिया को दर्शाने वाला पत्रक भाग-दो पृथक् से जारी किया जावेगा.